



सुरक्षित दिनांक- 22.01.2026

निर्णय दिनांक- 17.02.2026

ए.एफ.आर.

Neutral Citation No - 2026:AHC-LKO:13134

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या 1937/2007

मुन्ना.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :अविनाश श्रीवास्तव,

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता,

साथ में

आपराधिक अपील संख्या - 1992/2007

कमलेश अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :शिव शंकर सिंह,

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री विश्वनाथ निषाद को सुना गया।

2. उपरोक्त अपीलों के माध्यम से अपीलार्थीगण ने दिनांक 21.08.2007 के निर्णय एवं आदेश की शुद्धता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या 30, जिला बाराबंकी ने आपराधिक विचारण संख्या 22/2000 राज्य बनाम कमलेश, मुकदमा अपराध संख्या 12/2000 में अपीलार्थी (कमलेश) को धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास एवं रु. 5000/- का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कारावास, तथा आपराधिक विचारण संख्या 23/2000 राज्य बनाम मुन्ना में मुन्ना को धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं रु. 10000/- का जुर्माना भरने तथा 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

अभियोजन का वाद

3. दिनांक 17.01.2000 को एस.ओ. गौरी शंकर, कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह एवं कांस्टेबल अनिल प्रताप सिंह के साथ, थाने से वांछित अभियुक्त राम नरेश, मुकदमा अपराध संख्या 3/2000, धाराएँ 457, 380, 411 आईपीसी, थाना कोठी, से संबंधित, की खोज में रवाना हुए और उस्मानपुर के पास पहुँचने पर एक विशेष मुखबिर के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ग्राम बिरापुर में किसान परिदीन के घर पर अफीम खरीदने गए हैं और यदि शीघ्र कार्रवाई की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए सड़क गश्त पर तैनात कांस्टेबल शहाबुद्दीन और कांस्टेबल रुद्र नाथ पांडेय को साथ लिया गया और वे ग्राम बिरापुर पहुँचे। प्रयोजन बताकर सार्वजनिक गवाहों से साथ चलने का अनुरोध किया गया, किंतु गाँव की दुश्मनी/समस्याओं के कारण कोई व्यक्ति साथ जाने को तैयार नहीं था। इसलिए, मुखबिर और साथ के कर्मचारियों के साथ, जब वे रात लगभग 8:00 बजे परिदीन के घर के पास पहुँचे, तो दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनसे बात कर रहा था। मुखबिर के संकेत पर, टॉर्च जलाकर उन्हें चुनौती दी गई। तीनों व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया किंतु साथ के कर्मचारियों की सहायता से घेरकर रोक लिया गया। नाम-पता पूछने पर मोटरसाइकिल की ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कमलेश, पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुन्ना और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम परिदीन बताया। भागने का प्रयास करने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास अवैध अफीम है इसलिए वे भागना चाहते थे। चूँकि अवैध अफीम के कब्जे के संबंध में सूचना थी, इसलिए तीनों व्यक्तियों से पूछा गया कि क्या वे निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत तलाशी (जामा तलाशी) देना चाहते हैं। इस पर तीनों ने कहा कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा है तो वे ही तलाशी लें।

4. नियमानुसार व्यक्तिगत तलाशी लेने पर कमलेश की कमर में बँधे गमछे में रखी पॉलीथीन की थैली के अंदर से लगभग आधा किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पीछे बैठे मुन्ना के दाहिने बगल के नीचे दबी पॉलीथीन की थैली से लगभग एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई तथा एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल यू.पी.जी.ओ. नंबर 3830 चालू हालत में बरामद हुई; और तीसरे व्यक्ति परिदीन के दाहिने हाथ में पकड़ी पॉलीथीन की थैली से लगभग 400 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। अभियुक्त व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। बरामद संदिग्ध प्रतिबंधित वस्तु को सीलबंद किया गया और उसी आशय का "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बरामदगी फ़र्द तैयार किया गया, जिसकी एक प्रति अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई। प्रतिबंधित वस्तु और अभियुक्तगण को थाने लाकर जमा किया गया और ज़ापन के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना की गई। धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत साक्षियों के बयान अभिलिखित किए गए।

5. विवेचना के क्रम में विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और अपराध स्थल का नक्शा नज़री तैयार किया तथा अभियुक्त का बयान अभिलिखित किया और प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा, और परीक्षण आख्या प्राप्त होने पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

6. विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक अभियोजन दस्तावेज़ अभियुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए और तत्पश्चात आरोप विरचित किया गया। तथापि अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी न होने का अभिवचन किया और न्यायालय द्वारा विचारण चलाए जाने का विकल्प चुना।

7. अपना वाद स्थापित करने के लिए अभियोजन ने सात साक्षियों का परीक्षण किया। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित किए गए। बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर तीन साक्षियों का परीक्षण किया गया।

8. विचारण की समाप्ति पर, अभियुक्त व्यक्तियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 8/18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए दोषसिद्ध किया गया, जैसा कि उपर्युक्त रूप से पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

9. दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी कमलेश और मुन्ना द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि सह-अभियुक्त परिदीन अपील की लंबितता के दौरान दिवंगत हो गया है, अतः परिदीन के संबंध में अपील उपशमित हो गई है।

अपीलार्थीगण की दलीलें

10. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि अभिकथित सामग्री पॉलीथीन में अपीलार्थीगण के कब्जे से बरामद हुई जो व्यक्तिगत तलाशी में नहीं आती, इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के उपबंध वाद में लागू नहीं होते।

11. अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करने में त्रुटि की कि अभिकथित बरामद सामग्री दिनांक 20.01.2000 को पुलिस द्वारा रासायनिक परीक्षण के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए भेजी गई और अगले दिन दिनांक 21.01.2000 को रासायनिक परीक्षण की प्रतीक्षा किए बिना अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

12. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करने में त्रुटि की कि कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था और अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना वाद सिद्ध करने में विफल रहा है।

प्रत्यर्थी की दलीलें

13. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय एवं आदेश तर्कसंगत है और अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे अपना वाद सिद्ध किया है।

14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का समुचित सावधानी से अवलोकन किया। यहाँ विचार हेतु उद्भूत होने वाला प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/18 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है।

विश्लेषण/विवेचना/निष्कर्ष

15. प्रारंभ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूर्णतः उनके संबंधित कब्जे से अफीम की अभिकथित बरामदगी पर आधारित है। अभियोजन का वाद स्वयं यह स्पष्ट करता है कि प्रतिबंधित वस्तु की बरामदगी अभियुक्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी के पश्चात की गई, अर्थात् अपीलार्थी कमलेश की कमर में बंधे गमछे में रखी पॉलीथीन की थैली से, अपीलार्थी मुन्ना की बगल के नीचे दबी पॉलीथीन की थैली से, और सह-अभियुक्त परिदीन के हाथ में पकड़ी पॉलीथीन की थैली से। इस संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान वाद में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के उपबंध आकृष्ट हुए और यदि हाँ, तो क्या उनका अनुपालन किया गया। अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"बचाव पक्ष की ओर से प्रथम तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया। मेरे मत में, बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है। तीनों अभियुक्त व्यक्तियों, कमलेश, मुन्ना और परिदीन से अभिकथित अफीम बरामद होना, प्रत्येक अभियुक्त से बरामद पॉलीथीन से बरामद होना बताई गई है, जो व्यक्तिगत तलाशी की श्रेणी में नहीं आती, और ऐसी स्थिति में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 2007 एससी 2018 राजस्थान राज्य बनाम बाबूराम में प्रतिपादित किया है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि स्वापक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त के शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु से हो, तो वह व्यक्तिगत तलाशी की श्रेणी में नहीं आती। चूँकि यह बताया गया है कि अभियुक्त कमलेश से कमर पर बंधे गमछे के अंदर रखी पॉलीथीन से 500 ग्राम अफीम, अभियुक्त मुन्ना की बगल में दबी पॉलीथीन से एक किलोग्राम अफीम, और अभियुक्त परिदीन के हाथ में पकड़ी पॉलीथीन से 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिससे यह स्पष्ट है कि तीनों अभियुक्त व्यक्तियों से अफीम की बरामदगी पॉलीथीन से वर्णित की गई है, जो व्यक्तिगत तलाशी की श्रेणी में नहीं आती, और तदनुसार वर्तमान वाद में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का उपबंध लागू नहीं होता। जहाँ बरामदगी व्यक्तिगत तलाशी से न होकर किसी अन्य प्रकार की प्लास्टिक की थैली, पॉलीथीन आदि से हो, ऐसी स्थिति में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का उपबंध लागू नहीं होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 2007 एससी 2040 रविंद्रन @ जॉन बनाम सीमा शुल्क अधीक्षक के वाद में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वाद में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का उपबंध लागू नहीं होता। इस प्रकार, मैंने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूर्वनिर्णयों - 1999 (39) सुप्रीम न्यायालय-349 पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, 2006 ई.एफ.आर. 251 (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय) गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, और 2006 (1) ई.एफ.आर. 272 इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लियाकत गुर्जर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य - का समुचित अवलोकन किया है। तदनुसार, उपरोक्त पूर्वनिर्णयों के तथ्य एवं परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न हैं और वर्तमान वाद में लागू नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त, यदि यह भी मान लिया जाए कि वर्तमान वाद में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के उपबंध लागू होते हैं, तो तलाशी से पूर्व पुलिस कर्मियों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को यह विकल्प दिया गया था कि अभियुक्त निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी देने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु उनकी तलाशी केवल अभियुक्त व्यक्तियों की सहमति के आधार पर ली गई, जिसमें तलाशी के दौरान पॉलीथीन की थैलियों से अफीम बरामद हुई। जहाँ तक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्तियों की सहमति के संबंध में सूचना देने के प्रश्न का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि यह सूचना लिखित रूप में दी जाए। जैसा कि अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत पूर्वनिर्णय 'बलदेव सिंह' के प्रस्तर 58 में उल्लेख किया गया है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि वर्तमान वाद में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन न होने से अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण दूषित हो गया है।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन न होना

16. अभियोजन साक्ष्य से जो उल्लेखनीय तथ्य प्रकट होता है वह यह है कि समस्त अभियुक्त व्यक्तियों को सामूहिक रूप से यह विकल्प दिया गया था कि क्या वे निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी देना चाहते हैं, और उन सभी ने कथित रूप से एक स्वर में कहा कि पुलिस कर्मी स्वयं ही तलाशी लें। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि प्रत्येक अभियुक्त को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके स्वतंत्र एवं मूल्यवान सांविधिक अधिकार के बारे में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया हो। इस अधिकार का परित्याग अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिकारियों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ऐसे सांविधिक अधिकार के परित्याग के संबंध में लिखित रूप में लिया गया हो।

17. राजस्थान राज्य बनाम परमानंद एवं अन्य (2014) 5 एससीसी 345 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत अधिकार की संयुक्त सूचना के विवादक पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ऐसी सूचना विधि में दोषपूर्ण होगी। किए गए सुसंगत अवलोकन निम्नानुसार हैं:-

"14. हमारे मत में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत अभियुक्त को उपलब्ध अधिकार की संयुक्त सूचना धारा 50 के वास्तविक प्रयोजन को विफल कर देगी। तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को उक्त अधिकार की सूचना एक खोखली औपचारिकता नहीं है। इसका एक प्रयोजन है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अधिकांश अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान है और इसलिए विहित प्रक्रिया का सूक्ष्मता से पालन किया जाना आवश्यक है। ये मिथ्या फँसाए जाने की संभावना के विरुद्ध अभियुक्त को उपलब्ध न्यूनतम सुरक्षा उपाय हैं। इस अधिकार की सूचना स्पष्ट, असंदिग्ध एवं व्यक्तिगत होनी चाहिए। अभियुक्त को ऐसे अधिकार के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। यदि इसका लाभार्थी इसके अस्तित्व के ज्ञान के अभाव में इसका प्रयोग करने में सक्षम न हो तो यह अधिकार नगण्य महत्व का होगा। अधिकार की संयुक्त सूचना स्पष्ट या असंदिग्ध नहीं हो सकती। इससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इससे अधिकार का तनुकरण हो सकता है। अतः हम इस मत के हैं कि अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत उसे निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने का अधिकार है। परमजीत सिंह के वाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और धर्मवीर लेखराम शर्मा के वाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त इसी प्रकार के मत से हम सहमत हैं।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या धारा 50 उस स्थिति में आकृष्ट होगी जहाँ अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई हो किंतु प्रतिबंधित वस्तु किसी पॉलीथीन या थैली से बरामद हुई हो, सर्वोच्च न्यायालय ने **परमानंद (उपरोक्त)** में निम्नानुसार अवलोकित किया:-

"12. इस प्रकार, यदि केवल किसी व्यक्ति द्वारा वहन की जा रही थैली की तलाशी ली जाती है और उस व्यक्ति की कोई तलाशी नहीं ली जाती, तो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। किंतु यदि उसके द्वारा वहन की जा रही थैली की तलाशी ली जाती है और उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है, तो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का अनुप्रयोग होगा।"

19. परमानंद में प्रतिपादित विधि पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **रंजन कुमार चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1262** के वाद में पूर्वनिर्णयों पर विचार किया और इस संबंध में विधि की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन यहाँ उद्धृत किए जाते हैं:-

"126. अतः एस.के. राजू (उपरोक्त) और बलजिंदर सिंह (उपरोक्त) के मध्य कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि एस.के. राजू (उपरोक्त) में प्रतिबंधित वस्तु उस थैली से बरामद हुई थी जो अभियुक्त वहन कर रहा था, जबकि बलजिंदर सिंह (उपरोक्त) में प्रतिबंधित वस्तु वाहन से बरामद हुई थी। किसी वस्तु के 'व्यक्ति से अटूट रूप से संबद्ध' होने की अवधारणा को लागू करते हुए भी यह बहुत अंतर उत्पन्न करता है। परमानंद (उपरोक्त) ने दिलीप (उपरोक्त) के निर्णय पर अवलंब करते हुए यह मत अपनाया कि यदि अभियुक्त के व्यक्ति और थैली दोनों की तलाशी ली जाती है और प्रतिबंधित वस्तु अंततः थैली से बरामद होती है, तो यह व्यक्ति की तलाशी के समतुल्य है और इसलिए धारा 50 लागू होगी। तथापि यह उल्लेखनीय है कि दिलीप (उपरोक्त) ने पवन कुमार (उपरोक्त) पर विचार नहीं किया है जो वृहत पीठ का निर्णय है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि परमानंद (उपरोक्त) में न्यायालय ने पवन कुमार (उपरोक्त) पर विचार किया, तथापि अंततः उसने दिलीप (उपरोक्त) का अनुसरण किया और यह मत अपनाया कि यदि अभियुक्त द्वारा वहन की जा रही थैली की तलाशी ली जाती है और उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जाती है, तो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 लागू होगी। यह पवन कुमार (उपरोक्त) में वृहत पीठ द्वारा कथित बात से आगे की है। दूसरी ओर, बलजिंदर सिंह (उपरोक्त) का कहना है कि दिलीप (उपरोक्त) सुविधाजनक विधि प्रतिपादित नहीं करता है।

127. वर्तमान वाद के तथ्यों में परमानंद (उपरोक्त) और एस.के. राजू (उपरोक्त) के निर्णयाधार को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वाद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करे कि अभियुक्त के कंधे पर लटकी हुई थैली के साथ-साथ उस व्यक्ति की भी तलाशी ली गई थी।"

128. हम एस.के. राजू (उपरोक्त) तथा बलजिंदर सिंह (उपरोक्त) के संबंध में इससे आगे कुछ और कहने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हम बलदेव सिंह (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा तथा पवन कुमार (उपरोक्त) में संदर्भ का उत्तर देने वाली वृहत पीठ द्वारा स्पष्ट विधि के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।"

20. उपर्युक्त निर्णय के उद्धृत अंश से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान वाद में भी और अन्यथा भी **पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह**, (1999) 6 एससीसी 172 में संविधान पीठ के तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार**, (2005) 4 एससीसी 350 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के अभिमत का अनुसरण करना उचित होगा।

21. इस प्रक्रम पर **पवन कुमार** (उपरोक्त) में किए गए अवलोकनों पर ध्यान देना प्रासंगिक है:-

"11. थैली, ब्रीफकेस या ऐसा कोई भी लेख या पात्र आदि को किसी भी परिस्थिति में मानव शरीर नहीं माना जा सकता है। उन्हें पृथक नाम दिया जाता है और उनकी उसी रूप में पहचान की जाती है। उन्हें दूर-दूर तक मानव शरीर का अंग नहीं माना जा सकता। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार, वह विभिन्न आकार, विमा या भार की अनेक वस्तुएँ जैसे थैला, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन का बक्सा, थैला, झोला, गठरी, होल्डॉल, कार्टन आदि वहन कर सकता है। तथापि उन्हें साथ लेकर चलते समय कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उन्हें या तो हाथ से उठाना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा। सामान्य बोलचाल में कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति कोई विशेष वस्तु ले जा रहा है, जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि पर ले जाने की रीति निर्दिष्ट करते हुए। अतः इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में आए 'व्यक्ति' शब्द की परिधि में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

12. कोई अपराध-संबद्ध वस्तु शरीर में या विभिन्न प्रकार से वस्त्रों या आच्छादनो में या जूते में छुपाकर रखी जा सकती है। ऐसे प्रकार की वस्तुओं की, जो इस प्रकार छुपाकर रखी गई हों, तलाशी लेते समय, वह निश्चित रूप से 'व्यक्ति की तलाशी' शब्द की परिधि में आएगी। एक कसौटी जो लागू की जा सकती है वह यह है कि जहाँ तलाशी की प्रक्रिया में मानव शरीर का तलाशी लेने वाले व्यक्ति से संपर्क हो या होना हो, वह व्यक्ति की तलाशी होगी। इसका कुछ संकेत धारा 50 की उपधारा (4) द्वारा प्रदान किया जाता है, जो यह उपबंधित करती है कि किसी महिला की तलाशी किसी महिला के अतिरिक्त कोई

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं लेगा। विधानमंडल ने यह उपबंध सचेत रूप से किया है क्योंकि किसी महिला की तलाशी लेते समय उसके शरीर का संपर्क हो सकता है या उसे स्पर्श करने की आवश्यकता हो सकती है, और इसलिए यह केवल किसी महिला द्वारा ही की जानी चाहिए। थैले, ब्रीफकेस या ऐसे किसी लेख या पात्र आदि के मामले में, वे सामान्यतः मानव शरीर के साथ तब तक नहीं चलेंगे जब तक कि कोई अतिरिक्त या विशेष प्रयास न किया जाए। उन्हें या तो हाथ में लेना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाना होगा या सिर पर रखना होगा। उन्हें वाहक के शरीर से तत्काल और सहजता से पृथक किया जा सकता है। ऐसे प्रकार की वस्तुओं की तलाशी लेने के लिए वाहक का शरीर तलाशी लेने वाले के संपर्क में नहीं आएगा। ऐसी वस्तुएँ व्यक्ति, अर्थात् मानव शरीर से अटूट रूप से संबद्ध नहीं कही जा सकतीं। अटूट का अर्थ है जिसे सुलझाया या खोला न जा सके या जो ऐसी भूलभुलैया या उलझन बन जाए जिससे मुक्त होना असंभव हो।"

22. रंजन कुमार चड्ढा (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए आगे के अवलोकन:-

"129. बलदेव सिंह (उपरोक्त) में अवलोकित किया गया है कि मादक द्रव्य दुर्व्यसन एक सामाजिक व्याधि है। जबकि मादक द्रव्य की लत समाज की जड़ों को नष्ट करता है, मादक द्रव्य तस्करी न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मादक द्रव्य तस्करी से उत्पन्न अवैध धन का उपयोग प्रायः आतंकवाद को प्रोत्साहन सहित अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसने एक महामारी के आयाम धारण कर लिए हैं, राज्य की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है, व्यवस्था को भ्रष्ट करती है और किसी देश के भविष्य के लिए हानिकारक है। उक्त निर्णय में कुछ संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का भी संदर्भ दिया गया है जिनकी भारत सरकार ने अभिपुष्टि की है। अतः यह नितांत अनिवार्य है कि जो लोग इस प्रकार की कुत्सित गतिविधियों में संलिप्त हों, वे तकनीकी आधारों पर दोषमुक्त न हो जाएँ, जो उनके लाभ के लिए तत्क्षण सामान उनके शरीर के किसी भाग पर रखने की सूक्ष्म हलचल से उन्हें सुलभ हो जाते हैं, जिस सामान में अपराध-संबद्ध वस्तु हो सकती है।"

23. वर्तमान वाद में प्रतिबंधित वस्तु कमलेश की कमर में बंधे गमछे में रखी पॉलीथीन की थैली के अंदर से बरामद हुई, जबकि मुन्ना से प्रतिबंधित वस्तु उसकी दाहिनी बगल के नीचे दबी पॉलीथीन की थैली से बरामद हुई तथा परिदीन ने उसे हाथ में पकड़ा हुआ था। मेरा विश्वास है कि यदि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित वस्तु जब्त की जाती है तो अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर से कुछ संपर्क होगा, किंतु मेरा मत है कि वाद के तथ्यों पर दृष्टि डाले बिना एक कठोर सूत्र लागू करना और इस कसौटी को एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में अपनाना न्यायोचित नहीं होगा, और न ही वर्तमान पूर्वनिर्णय यह सुझाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. बरामदगी की रीति दोनों अपीलार्थीगण के मध्य महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। अपीलार्थी कमलेश के मामले में, प्रतिबंधित वस्तु उसकी कमर में बंधे गमछे की परतों से बरामद हुई। पवन कुमार (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के अभिनिर्धारण के अनुसार, अभियुक्त द्वारा पहना गया गमछा या धोती उसके वस्त्र और शरीर का अटूट अंग है। अतः, कमलेश की तलाशी 'व्यक्तिगत तलाशी' थी, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन को अनिवार्य बनाती थी।

25. इसके विपरीत, अभियुक्त मुन्ना के मामले में प्रतिबंधित वस्तु उसकी बगल के नीचे दबी पॉलीथीन की थैली से बरामद हुई, और सह-अभियुक्त परिदीन के मामले में हाथ में पकड़ी थैली से। कोई थैला या पात्र यदि बगल के नीचे भी लाया जा रहा हो, तब भी वह अभियुक्त का 'व्यक्ति' नहीं बनता जब तक कि वह वस्त्र के भीतर न छुपा हो। परिणामतः मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुन्ना और परिदीन के मामले में धारा 50 तकनीकी रूप से आकृष्ट नहीं हुई।

26. तथापि, यह विभेद पुलिस द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया में एक घातक दोष उजागर करता है। सशक्त अधिकारी ने तीनों अभियुक्तों को एक इकाई के रूप में माना है। ऐसे समूह को 'संयुक्त विकल्प' देकर, जिसमें एक व्यक्ति (कमलेश) को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी दिए जाने का पूर्ण सांविधिक अधिकार था और अन्य को नहीं था, अधिकारी ने भ्रम का वातावरण सृजित किया। 'संयुक्त विकल्प' कमलेश को उसके विशिष्ट, अव्यपगत अधिकार के बारे में पृथक रूप से सूचित करने में विफल रहा, जिससे धारा 50 के अधिदेश को उसके लिए एक खोखली औपचारिकता में प्रभावी ढंग से तनुकृत कर दिया गया।

27. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **विजयसिंह चंदुभा जाडेजा बनाम गुजरात राज्य (2011) 1 एससीसी 609** के वाद में अभिनिर्धारित किया कि धारा 50 के अंतर्गत दायित्व आदेशात्मक है और तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी दिए जाने का अधिकार है, और 'सारवान अनुपालन' की अवधारणा को अस्वीकार किया। इस संबंध में किए गए सुसंगत अवलोकन निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं:-

"29. उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत, हम इस दृढ़ मत के हैं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत संदिग्ध को एक सुरक्षा के रूप में अधिकार जिस उद्देश्य से प्रदान किया गया है - अर्थात् शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, निर्दोष व्यक्तियों को क्षति से बचाना और विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा मिथ्या मामले प्रत्यारोपित किए जाने के अभिकथनों को न्यूनतम करना - के दृष्टिगत, सशक्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को उसके राजपत्रित

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने के अधिकार से अवगत कराए। हम यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं करते कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के दायित्व के संबंध में यह आदेशात्मक है और कठोर अनुपालन की अपेक्षा करता है। उपबंध का अनुपालन न करने से अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी और दोषसिद्धि को अपास्त कर देगी यदि वह केवल ऐसी तलाशी के दौरान अभियुक्त के व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर अभिलिखित की गई हो। तत्पश्चात संदिग्ध उक्त उपबंध के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करना चुन सकता है या नहीं।

XXX

31. हम इस मत के हैं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की अपेक्षा के साथ "सारवान अनुपालन" की अवधारणा, जो जोसेफ फर्नांडीज और प्रभा शंकर दुबे में उक्त धारा के अधिदेश में प्रवेश कराई गई और पठित की गई, न तो धारा 50 की उप-धारा (1) की भाषा से उद्भूत होती है और न ही बलदेव सिंह वाद में प्रतिपादित विनिर्णय के अनुरूप है। यह कहना अनावश्यक है कि यह प्रश्न कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया अथवा नहीं और धारा 50 की अपेक्षा पूरी हुई अथवा नहीं, विचारण का विषय है। इस संबंध में कोई आत्यंतिक सूत्र प्रतिपादित करना न तो संभव है और न ही व्यवहार्य।"

28. इसी प्रकार **दिल्ली राज्य बनाम राम अवतार (2011) 12 एससीसी 207** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त से केवल यह पूछना कि क्या वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिया जाना चाहता है, बिना यह सूचित किए कि इस संबंध में उसे अधिकार प्राप्त है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं है।

29. इसी प्रकार **नवदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 584** के वाद में न्यायालय ने संदिग्ध व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना देने के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि:-

"11. हमारे मत में, उपबंध ऐसी सूचना के लिए कोई निर्धारित प्रारूप विहित नहीं करते हैं। सार यह है कि अभियुक्त को उसके राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी दिए जाने के विधिक अधिकार के बारे में अवगत कराया जाए। यहाँ, जब पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा अपीलार्थी को धारा 50 के अंतर्गत उसके सांविधिक अधिकारों से अवगत कराया गया और उसने राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी दिए जाने का विकल्प चुना, तो उसने आवश्यक निहितार्थ से सचेत रूप से अपने अधिकार का प्रयोग किया।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उस दृष्टि से हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि अधिनियम की धारा 50 के आदेशात्मक उपबंधों का उल्लंघन हुआ।"

30. अतः यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों को केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिए जाने का विकल्प सूचित किया गया था, अथवा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सांविधिक अधिकार के बारे में अवगत कराया गया था। बरामदगी फ़र्द से इस संबंध में एक अंश निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:-

"चूँकि अवैध अफीम रखने की सूचना है, इसलिए उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों से पूछा गया कि क्या आप लोग किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत तलाशी (जामा तलाशी) देना चाहते हैं, तो उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों ने कहा कि अब जब आप लोगों ने हमें रोक लिया है, तो आप स्वयं हमारी व्यक्तिगत तलाशी लें, हम सहमत/राजी हैं।"

31. वर्तमान वाद में उपर्युक्त अंश से और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी ऐसा कुछ नहीं दर्शित होता कि अधिकारियों ने उन्हें अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उनके अधिकार के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया हो। सशक्त अधिकारियों ने अभियुक्त व्यक्तियों को उनके लिए उपलब्ध विकल्प की सूचना देते समय इसे मात्र एक विकल्प के रूप में रखा, किंतु उन्हें यह नहीं बताया कि उन्हें इस संबंध में सांविधिक अधिकार प्राप्त है।

32. धारा 50 का अधिदेश एक खोखली औपचारिकता नहीं, बल्कि अभियुक्त को प्रदत्त एक मूलभूत सुरक्षा उपाय है। विधि सुस्थापित है कि अभियुक्त को उसके अधिकार के बारे में स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में अवगत कराया जाना चाहिए, और ऐसी सूचना व्यक्तिगत एवं विशिष्ट होनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब एक से अधिक अभियुक्त संलिप्त हों। संयुक्त या सामूहिक सहमति को धारा 50 के वैध अनुपालन के रूप में नहीं माना जा सकता।

33. तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) 4 एससीसी 1 के वाद में बहुमत ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम में उपबंधित सुरक्षा उपायों के अनुपालन की आवश्यकता पर बल देते हुए निम्नानुसार अवलोकित किया:-

"55. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के कठोर उपबंधों के साथ-साथ उपर्युक्त विवेचित उपबंधों में वर्णित सुरक्षा उपायों को दृष्टिगत रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम जैसे विधिपत्रों की व्याख्या इस तथ्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए कि दंड जितना कठोर हो, विधिपत्र में उपबंधित सुरक्षा उपायों के सूक्ष्मता से पालन किए जाने को सुनिश्चित करने में उतनी ही अधिक अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सावधानी बरती जाए। यह बलदेव सिंह (उपरोक्त) के प्रस्तर 28 में प्रतिपादित किया गया था। कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम प्रमुखतः एक दंडविधि है, यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है। राजस्व निदेशालय एवं अन्य बनाम मोहम्मद निसार होलिया (2008) 2 एससीसी 370 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

'9. एन.डी.पी.एस. अधिनियम एक दंड विधि है। यह अभियुक्त के अधिकारों का काफी हद तक अतिक्रमण करती है। यह अपराधी मानसिक अवस्था की उपधारणा उठाती है। सामान्यतः अधिनियम की धारा 37 के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर भी नहीं रिहा किया जा सकता है। न्यायालय को अपराधियों का नाम, पता और व्यवसाय आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। साक्ष्य में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज़ ग्राह्य हो जाता है। धारा 67 के कारण प्राधिकारियों को सूचना माँगने की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है।

10. उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित तलाशी और जब्ती तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति की व्याख्या एवं/या वैधता बलबीर सिंह के वाद [(1994) 3 एससीसी 299] में विचार के लिए आई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया:

"10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 41, 42, 43 और 51 तथा धाराओं 41, 42 और 43 के अंतर्गत गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 4 के संयुक्त पठन से, दं.प्र.सं. के उपबंध, अर्थात् धाराएँ 100 और 165, ऐसी गिरफ्तारी और तलाशी पर लागू होंगे। परिणामतः एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में अनियमितताओं और अवैधताओं के बारे में विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी और तलाशी पर समान रूप से लागू होंगे।

11. किंतु एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 41 और 42 के अंतर्गत कुछ अन्य प्रतिबंध विद्यमान हैं। धारा 41 के अंतर्गत सशक्त किया गया केवल एक मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तारी और तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है, जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि अध्याय IV के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो, इत्यादि। उपधारा (2) के अंतर्गत केवल राजपत्रित अधिकारी या उसमें उल्लिखित और सशक्त अन्य अधिकारी ही किसी अधीनस्थ को गिरफ्तारी और तलाशी के लिए प्राधिकरण दे सकते हैं यदि ऐसे अधिकारी को किसी अपराध के किए जाने के बारे में विश्वास करने का कारण हो और सूचना, यदि कोई हो, को लिखित रूप में अंकित करने के पश्चात। धारा 42 के अंतर्गत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



केवल उसमें उल्लिखित और सशक्त अधिकारी ही व्यक्तिगत ज्ञान या सूचना से विश्वास करने का कारण होने पर उपबंधित गिरफ्तारी या तलाशी कर सकते हैं। इन दोनों उपबंधों में दो महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ हैं। एक यह कि उसमें उल्लिखित मजिस्ट्रेट या अधिकारी को प्रथमतः सशक्त किया गया हो और उन्हें यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अध्याय IV के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी उपबंध में उल्लिखित अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक थी। जहाँ तक प्रथम अपेक्षा का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि विधानमंडल का आशय था कि केवल कतिपय मजिस्ट्रेट और उच्च पदस्थ तथा सशक्त कतिपय अधिकारी ही गिरफ्तारी या तलाशी के लिए कार्य कर सकते हैं। यह प्रावधित निवारक दंडों को दृष्टिगत रखते हुए और इस दृष्टि से एक सुरक्षा उपाय है कि निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़ित न किया जाए। अतः यदि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के इन उपबंधों के अंतर्गत परिकल्पित कोई गिरफ्तारी या तलाशी की जानी हो, तो वह केवल सक्षम और सशक्त मजिस्ट्रेट या उसके अंतर्गत उल्लिखित अधिकारियों द्वारा ही की जा सकती है।"

11. तलाशी और जब्ती करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति 'विश्वास करने का कारण' पद के प्रयोग के कारण अधिकारी की संतुष्टि पर आधारित और उसके अधीन है। ऐसा विश्वास उस मुखबिर की मौखिक सूचना पर आधारित हो सकता है जो मौखिक रूप से सूचना दे। ऐसे कठोर उपबंध जो कठोर दंडादेश की ओर ले जा सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'सम्यक प्रक्रिया' के सिद्धांत के दृष्टिगत, एक ओर विधि और उसके प्रवर्तन की आवश्यकता, तथा दूसरी ओर नागरिक को उत्पीड़न और अन्याय से संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने की अपेक्षा करते हैं।"

12. इस न्यायालय ने बलबीर सिंह [(1994) 3 एससीसी 299] में मिरांडा बनाम एरिज़ोना राज्य [384 यूएस 436 (1966)] का संदर्भ लेते हुए अधिनियम के उपबंधों की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि तलाशी और जब्ती के मामले में न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के उपबंध आकृष्ट होंगे, बल्कि उसका अनुपालन अभियुक्त के उस अधिकार के भी अनुरूप होना चाहिए जिसके अंतर्गत उसे सांविधिक उपबंधों के अनुपालन की अपेक्षा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। x x x x x x x x x

16. इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त अधिनियम कठोर दंड विहित करता है। अतः तलाशी और जब्ती के स्थान के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की रीति और प्रकार के बारे में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।"

33. इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, आगे वर्तमान अन्य साक्ष्य का विश्लेषण किया जा सकता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



34. यह भी एक ज्वलंत तथ्य है कि वर्तमान वाद की घटना दिनांक 17.01.2000 को घटित होना अभिकथित है, जबकि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र संदिग्ध की प्रतिबंधित वस्तु के संबंध में एफ.एस.एल. आख्या की प्रतीक्षा किए बिना या प्राप्त किए बिना, दिनांक 21.01.2000 को इतनी शीघ्रता से दायर किया गया। यह आचरण अभियोजन की आख्यान पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करता है। दिनांक 21.01.2000 को आरोप-पत्र की शीघ्र प्रस्तुति, अभिकथित प्रतिबंधित वस्तु के दिनांक 20.01.2000 को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने के मात्र एक दिन पश्चात, अभियोजन के वाद को गंभीर रूप से कमजोर करती है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अपराधों में पदार्थ की प्रकृति एक आधारभूत तत्व है, और आवश्यक न्यायालयिक आख्या के बिना आरोप-पत्र दायर करना एक लापरवाह और यांत्रिक अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जिससे समस्त अभियोजन आख्यान पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न होता है। यह हड़बड़ी, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि घटना दिनांक 17.01.2000 को घटित हुई, दृढ़तापूर्वक यह सुझाती है कि एफ.एस.एल. आख्या को उचित रूप से सुरक्षित किए बिना या उसकी प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण किया गया, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह के बादल छा जाते हैं। यद्यपि यह तथ्य अकेले अभियोजन के वाद को अपास्त नहीं करता, किंतु यह निष्पक्ष अन्वेषण के अभाव को चित्रित करता है।

35. सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **विनुभाई हरिभाई मालविया बनाम गुजरात राज्य (2019) 17 एससीसी 1** के वाद में निष्पक्ष अन्वेषण और जाँच की आवश्यकता पर बल देते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

"भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यह स्पष्ट करता है कि आपराधिक विचारणों में प्रक्रिया, श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1978) 1 एससीसी 248 में ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात, 'सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए न कि मनमानी, काल्पनिक या उत्पीड़क' (उसमें प्रस्तर 7 देखें)। इसी प्रकार, पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (1996) 6 एससीसी 323 में यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार को प्रश्रय देता है और उसकी गारंटी देता है, जिससे केवल निष्पक्ष विचारण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके वंचित किया जा सकता है जो अभियुक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। निष्पक्ष विचारण का आश्वासन न्याय-प्रशासन की प्रथम अनिवार्यता बताई जाती है (उसमें प्रस्तर 16 देखें)। 17. यह स्पष्ट है कि निष्पक्ष विचारण तभी प्रारंभ होना चाहिए जब स्वयं अन्वेषण निष्पक्ष और न्यायसंगत हो। पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा समस्त अन्वेषण और जाँच का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने वास्तव में अपराध किया हो, उन्हें सही रूप से पकड़ा जाए,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और जिन्होंने नहीं किया हो, उन्हें विचारण के लिए प्रस्तुत न किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह न्यूनतम प्रक्रियात्मक अपेक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की आधारभूत अपेक्षा है। दं.प्र.सं. के सभी उपबंधों की व्याख्या में अनुच्छेद 21 की परिव्यापी सर्वव्यापकता को आवश्यक रूप से सूचित करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुच्छेद 21 का अक्षरशः और भावनात्मक रूप से पालन हो।"

36. अन्वेषण के दौरान आगे जो चूक सामने आती है वह यह है कि मालखाने भेजने से पूर्व नमूना जापनों पर संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं लिए गए। यह अभियोजन की ओर से एक स्पष्ट चूक है क्योंकि प्रतिबंधित वस्तु के नमूनों पर पहचान-चिह्न स्वरूप हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के अभाव से नमूनों के अदला-बदली और छेड़छाड़ की संभावना उत्पन्न होती है। वस्तुतः बरामदगी फ़र्द में यह विशेष रूप से नहीं बताया गया है कि प्रतिबंधित वस्तु को मौके पर ही पृथक करके तौला गया, बल्कि यह तथ्य बाद में अभियोजन साक्षियों के बयानों में सामने आया। इससे यह प्रतीत होता है कि वे केवल चूकों को भरने का प्रयास कर रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से कथित रूप से बरामद प्रतिबंधित वस्तु लघु मात्रा से अधिक किंतु वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम है।

37. विवेचना अधिकारी का एफ.एस.एल. आख्या की प्रतीक्षा किए बिना पूर्वनिर्धारित रीति से आरोप-पत्र दायर करने का कार्य अन्वेषण को एक खोखली औपचारिकता में बदल देता है। इससे भी अधिक निंदनीय यह है कि सीलबंद नमूना पैकेटों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान प्राप्त करने में विफलता। यह चूक मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है, बल्कि एक मूलभूत विफलता है जो जब्ती की पवित्रता को नष्ट कर देती है। इन हस्ताक्षरों के बिना, न्यायिक निश्चितता नहीं है कि जिन नमूनों की जाँच की गई, वे वही थे जिन्हें ज़ब्त किया गया था।

38. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से प्रतिबंधित वस्तु की अभिकथित बरामदगी एक ग्राम क्षेत्र में हुई, तथापि तलाशी और जब्ती में कोई स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी संबद्ध नहीं किया गया। अभियोजन द्वारा दी गई यह स्पष्टीकरण कि ग्रामीणों ने दुश्मनी के कारण मना कर दिया, एक रूढ़िबद्ध और सामान्य स्पष्टीकरण है जो विश्वास उत्पन्न नहीं करता है, विशेष रूप से एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत ऐसे वाद में जहाँ प्रमाण का मानक कठोर है और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कठोरता से पालन करना अपेक्षित है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



39. गोरख नाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2018) 2 एससीसी 305 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस साक्षियों की साक्ष्य के बारे में अवलोकित किया:-

"शेष अभियोजन साक्षी केवल पुलिस अधिकारी होने के कारण, केवल उनके अभिसाक्ष्य पर निर्भर करना सुरक्षित नहीं होगा, जो किसी भी स्थिति में बरामदगी या जब्त सामग्री के गाँजा होने के संबंध में स्वयं पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकती। विचारण में गाँजे को प्रदर्श के रूप में न प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अतः अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, और इसके समर्थन में वरिष्ठ वकील श्री राय ने तर्क दिया है।।"

40. यद्यपि पुलिस कर्मियों का अभिसाक्ष्य को केवल उनके सरकारी पद के आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता, तथापि गंभीर दंड और कठोर उपबंधों वाले मामलों में, जब प्रक्रियात्मक चूकें पहले से स्पष्ट हों, स्वतंत्र पुष्टि के अभाव का महत्व बढ़ जाता है और अभियोजन के वाद को कमजोर करता है।

41. विचारण न्यायालय ने अभिलेखों का विश्लेषण करने के पश्चात बचाव पक्ष के साक्षियों के अभिसाक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे राजनीतिक संपर्क वाले हितबद्ध व्यक्ति हैं। अन्वेषण प्रक्रिया में अन्य कमियों और चूकों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरा मत है कि यह सही दृष्टिकोण नहीं था।

42. निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व, अशोक कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (2013) 2 एससीसी 67 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन वर्तमान वाद में पूर्णतः उपयुक्त हैं। उसका सुसंगत भाग निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:-

"हम इस संबंध में सामान्य उक्ति 'इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्स्क्यूसेट' और यह भी परीक्षित कर सकते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में अभियुक्त यह बचाव ले सकता है कि वह एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में विहित प्रक्रिया से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञता सामान्यतः आपराधिक विधि में कोई बचाव नहीं माना जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि व्यक्ति विधि जानता है। निर्विवाद रूप से विधि की अनभिज्ञता वास्तविकता में प्रायः विद्यमान रहती है, यद्यपि एक सामान्य प्रस्थापना के रूप में यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि का ज्ञान होना उचित माना जाता है। किंतु कतिपय परिस्थितियों में इस ज्ञान का आरोपण अत्यधिक होगा, उदाहरण के लिए, हम किसी गँवार ग्रामीण, पूर्णतः निरक्षर, सड़क के किसी गरीब व्यक्ति से, इस देश में बनाई गई विभिन्न विधियों, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की तो छोड़िए, की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम यह भी नोट करते हैं कि यह तथ्य विधानमंडल के ज्ञान में भी है, संभवतः इसी कारण विधानमंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एन.डी.पी.एस.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत कार्य करने वाले सशक्त अधिकारी पर संदिग्ध को धारा 50 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी दिए जाने के अधिकार के बारे में सूचित करने का दायित्व अधिरोपित किया, जिससे उस प्रक्रिया का कठोर अनुपालन अपेक्षित हो।"

43. उपर्युक्त कमियों का संचयी प्रभाव, विशेष रूप से स्वतंत्र साक्षियों का अभाव तथा तलाशी देने से मना करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं होना, भार मापे जाने की रीति में विसंगति, एफ.एस.एल. आख्या प्राप्त होने से पूर्व आरोप-पत्र दायर करना, प्रतिबंधित वस्तु को एफ.एस.एल. को परीक्षण के लिए भेजे जाने के संबंध में संयोजक साक्ष्य का अभाव क्योंकि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और इसलिए पारगमन में प्रतिबंधित वस्तु को ले जाने में पारदर्शिता का अभाव है, प्रतिबंधित वस्तु के नमूनों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का अभाव तथा अन्वेषण के दौरान अन्य प्रक्रियात्मक चूकें, अभियोजन के संस्करण के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं और इसलिए दोनों अभियुक्त व्यक्तियों - कमलेश, जिसके मामले में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं हुआ और अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रक्रियात्मक चूकें हुईं, तथा मुन्ना, जिसे भी इन चूकों के कारण पीड़ा उठानी पड़ी - को निःसंदेह संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना वाद स्थापित करने में विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय प्रकट रूप से स्पष्ट प्रक्रियात्मक चूकों पर ध्यान देने में विफल रहा और त्रुटिपूर्ण रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 8/18 के अंतर्गत अपराध के दोषी हैं, जो निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत है।

44. तदनुसार, अपीलें **अनुज्ञात** की जाती हैं।

45. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय संख्या 30, जिला बाराबंकी द्वारा आपराधिक विचारण संख्या 22/2000 (राज्य बनाम कमलेश) और आपराधिक विचारण संख्या 23/2000 (राज्य बनाम मुन्ना) में, मुकदमा अपराध संख्या 12/2000, थाना कोठी, जिला बाराबंकी से उद्भूत, दिनांक 21.08.2007 को पारित निर्णय एवं आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं।

46. अपीलार्थी कमलेश और मुन्ना को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/18 के अंतर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

47. अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूतियाँ उन्मोचित की जाती हैं। अपीलार्थी धारा 437-क दं.प्र.सं. की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 फरवरी, 2026

हसीन यू.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"